राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप–2/2011

जयपुर, दिनांक : 27.09.2011

<u>परिपत्र</u>

प्रायः यह देखने में आया है कि जिन अधिकारियों के विरूद्ध सी. सी. ए. नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित होती है उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव उनकी सेवानिवृत्ति के दिन या एक दिन पूर्व प्राप्त होते है। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध तत्समय ही कार्यवाही की जानी चाहिए किन्तु सेवानिवृत्ति के पश्चात दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना विभाग की कार्यप्रणाली एवं विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे प्रकरणों पर कार्यवाही किये जाने पर मा. मुख्य सचिव महोदय, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय एवं महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी गंभीरता से लिया है।

यह भी देखने में आया है कि अन्य जांच, जाचों से सम्बन्धित सूचना एवं अन्य प्रकरणों में निदेशालय से टिप्पणी/कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते है किन्तु निदेशालय द्वारा ऐसे प्रकरणों पर यथा समय कार्यवाही नहीं की जाती, जो राज्यादेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः निर्देश प्रदान किए जाते है कि विभागीय जांच/संयुक्त विभागीय जांच के ऐसे प्रकरण जिनमें प्रारम्भिक जाचं में जांच के उपरान्त अधिकारी/कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है, उनके विरूद्ध उपयुक्त सी. सी. ए. नियमों के अन्तर्गत यथा समय कार्यवाही की जावे एवं अन्य जांच, जाचों से सम्बन्धित सूचना एवं अन्य प्रकरणों में निदेशालय से टिप्पणी/कार्यवाही के राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे।

(बी. एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज. जयपुर।
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पताल, राजस्थान
6. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज.
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
10. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभाग की बैवसाईट पर अपलोड करवावें।

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव